न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज.

तारीख हुक्म	कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट **सरकार बनाम गोविंद उर्फ निको** प्रकरण संख्या 407/2019 रे0फो0 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2019 पुलिस थाना धंबोला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांकः—08.04.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। अभियुक्त एवं अधिवक्ता अनुपस्थित। पुलिस थाना धंबोला से कमलाशंकर कानि 753 ने **अभियुक्त गोविंद उर्फ निको पिता लक्ष्मण खराडी निवासी रास्तापाल थाना धंबोला** का गिरप्तारी वारन्ट अदम तामील मय जमीन जायदाद सूची, मौतबिरान की तस्दीक व पटवारी की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ है।

तामील कुनिन्दा के बयान सी. डब्ल्यु 01 लेखबद्व किये गये। अभियुक्त का जारीशुदा गिरप्तारी वांरट प्रपी 01, पटवारी रिपोर्ट प्रपी 03, तस्दीक मौतबिरान प्रपी 02 है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पुराना है। अभियुक्त **गोविंद उर्फ निको** अत्यधिक लम्बे समय से इस प्रकरण में अपनी उपस्थिति से बचता फिर रहा है कई मर्तबा अभियुक्त के गिरप्तारी वारंट जारी किये जा चुके है। प्रकरण में तात्विक साक्ष्य लेखबद्व की जा चुकी है।

ऐसा प्रतित होता है कि अभियुक्त **गोविंद उर्फ निको** न्यायालय में अपनी उपस्थिति से बचने के लिये सकुनत से रूहपोश हो रहा है एंव प्रकरण में वांछित होने पर भी अपने आप को छिपाता फिर रहा है। न्यायालय में उपस्थित नही हो रहा है।

मामले में तामिल कुनिन्दा के लेखबद्व बयानो से स्पष्ट होता है कि मुल्जिम **गोविंद उर्फ निको** की निकट भविष्य में अब मिलने की सम्भावना प्रतीत नही होती है।

अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियो को देखते हुये अभियुक्त **गोविंद उर्फ निको** को इस प्रकरण में **मफरूर घोषित किया जाता है।**

अभियुक्त **गोविंद उर्फ निको** का **स्थाई गिरप्तारी वारन्ट** जारी होवे। जारीशुदा गिरप्तारी वारन्ट के पुलिस थाना धंबोला में दर्ज होने के आमद नं. अविलंब मंगवाये जावे। धारा 446 व 82—83 दंड प्रकिया संहिता की कार्यवाही पृथक से अमल में लायी जावे।

पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त गोविंद उर्फ निको के स्थायी गिरप्तारी वांरट जारी होने से मफरूर होने का नोट लगाया जावे एवं पत्रावली का कोई भी भाग न्यायालय की अनुमति के बिना नष्ट नही किये जाने का लाल स्याही से नोट लगाया जावे।

पत्रावली **मफरूरी में फैसलशुमार** होकर बाद तकमीलान दाखिल दफतर होवे।

सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा